

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 421] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 1981/पौष 10, 1903
No. 421] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 1981/PAUSA 10, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

प्रसिद्धि

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1981

(सं० 272/81 सीमाशुल्क)

सा० का० नि० 681 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52)
की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान
हो करने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व

विभाग) की अधिसूचना सं० 84- सीमा शुल्क तारीख 19 अप्रैल 1980 का निम्नलिखित
और संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में “31 दिसम्बर, 1981” श्रृंखला और शब्द के स्थान पर
“31 मार्च, 1982” श्रृंखला और शब्द रखे जायेंगे।

[फा० सं० 355/152/81-सीमा शुल्क-1]

के० चन्द्र मोली, प्रवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 1981

NO. 272/81-CUSTOMS

G.S.R. 681(E). In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 84-Customs dated the 19th April, 1980, namely :—

In paragraph 2 of the said notification, for the figures, letters and words “31st day of December, 1981” the figures, letters and words “31 day of March, 1982” shall be substituted.

[F. No. 355/152/81-Cus. I]

K. CHANDRAMOULI, Under Secy.